क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
(आई.एस.ओ. 9001-2008 प्रमाणित कार्यालय)
पंचदीप भवन, ई.डी.सी. प्लॉट संख्या 23, पाट्टो, पणजी, गोवा

Regional Office,Goa
Employees' State Insurance Corporation
Ministry of Labour & Employment, Government of India
(An ISO 9001:2008 Certified office)
Panchdeep Bhavan, EDC Plot No. 23, Patto, Panaji, Goa-403001

ESIC Chinta Se Mukti

दूरभाष/Tel : 0832-2438853, 2438859, 2438870, फ़ैक्स/Fax : 0832-2438858, टोलफ्री/Toll free No. 1800-2330-132
ई-मेल/E-mail : rd-goa@esic.nic.in, वेबसाइट/Website : www.esicgoa.org.in, www.esic.nic.in

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गोवा क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत प्रवर श्रेणी लिपिक के पद को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि : 30.10.2015

गोवा क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्लूडी) के लिए विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर प्रवर श्रेणी लिपिक के पद को भरने के लिए विकलांग व्यक्तियों (पीडब्लूडी) से आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों आदि सहित नीचे दिए गए निर्धारित पत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :

क. पद एवं रिक्तियाँ

पद	वेतनमान	ग्रेड वेतन	विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या				विकलांग व्यक्तियों (दृष्टिहीन/विकलांग/बधिर) के लिए उपयुक्तता और शारीरिक आवश्यकता
			विकलांग	बधिर	दृष्टिहीन	कुल	
प्रवर श्रेणी लिपिक	वेतनमन-1 (रु.5200-20200/-)	रु.2400/-	*	*	*	01*	**शारीरिक आवश्यकता** : बैठना , खड़ा रहना , चलना, उठाना , उँगलियों का इस्तेमाल , देखना, पढ़ना-लिखना, संप्रेषण **उपयुक्तता** : एक हाथ , एक पैर , दोनों पैर , एक हाथ और एक पैर, नेत्रहीन, कम दृष्टि, बधिर

*विकलांग, बधिर तथा दृष्टिहीन श्रेणी के अभ्यर्थी उपरोक्त पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

संक्षिप्त रूप (#)	एस-बैठना, एसटी.-खड़ा रहना , डब्लू-चलना , एमएफ-उँगलियों का इस्तेमाल , एसइ-देखना , आरडब्लू-पढ़ना व लिखना , सी-संप्रेषण, ओए-एक हाथ , ओएल-एक पैर , बीएल-दोनों पैर , ओएएल-एक हाथ और एक पैर , बी-नेत्रहीन ,एलवी-कम दृष्टि , एचएच-बधिर, वीएच-नेत्रहीन, ओएच-विकलांग

*पीडब्लूडी तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के तहत नियुक्त उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनारक्षित (यू.आर.) से संबंधित श्रेणियों की रिक्ति में समायोजित किया जाएगा।

उपरोक्त रिक्तियाँ वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती हैं।

ख. वेतनमान

पद	**वेतन बैंड**	**ग्रेड वेतन**
प्रवर श्रेणी लिपिक	पीबी-1 (रु.5200-20200)	रु.2400/-

टिप्पणी : महंगाई भत्ता , मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता तथा अन्य भत्ते भारत सरकार के नियमों के अनुसार देय होंगे।

ग. नागरिकता

उम्मीदवार या तो

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल, या

(ग) भूटान, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से निवास करने के इरादे से भारत आए या

(ड़) भारत में स्थायी रूप से निवास करने के इरादे से पाकिस्तान , बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या , उगांडा , तंजानिया संयुक्त गणराज्य (पूर्ववर्ती टंगनयिका और जंजीबार), ज़ाम्बिया, मालवी, जैरे, इथोपिया और वियतनाम से उत्प्रवासित भारतीय मूल के व्यक्ति,

(च) बेशर्ते कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ड़) से संबंधित अभ्यर्थियों के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

टिप्पणी : ऐसे उम्मीदवार जिसके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है उन्हें ही परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाएगी परंतु ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जाएगा ।

(घ) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आयु सीमा

I. प्रवर श्रेणी लिपिक : दिनांक 31.10.2015 को 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच

आयु सीमा में छूट

क.रा.बी. निगम के कर्मचारियों, सरकारी सेवकों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी जो निम्नानुसार निर्धारित की गई है :

(क) अन्य पिछड़ा वर्ग : 3 वर्ष

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति : 5 वर्ष

(ग) विकलांग व्यक्ति : 10 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष अतिरिक्त छूट दी जाएगी)

(घ) भूतपूर्व सैनिक : सशस्त्र सेना में सेवा की अवधि + 3 वर्ष (भारत सरकार के वर्तमान अनुदेशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अतिरिक्त छूट दी जाएगी)

(ड़) तीन वर्ष की नियमित सेवा के क.रा.बी. निगम के कर्मचारी/सरकारी सेवकों के लिए : 40 वर्ष के अतिरिक्त संबंधित श्रेणी/श्रेणियों(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग व्यक्ति) के तहत आयु सीमा में छूट दी जाएगी ।

(च) अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा से छूट दी जाएगी ।

टिप्पणी : (क) दृष्टिहीन या अल्प दृष्टि (ख) बधिर तथा (ग) निःशक्त या मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पहचान किए गए केंद्रीय सरकार के सभी सिविल पदों/सेवाओं में सीधी भर्ती के तहत ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 15 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीसवारों के लिए 13 वर्ष) की छूट दी जाएगी बेशर्ते कि निर्धायक तिथि को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(ड़) अनिवार्य अर्हता

I. प्रवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष ।

(ii) ऑफिस तथा डेटाबेस सहित कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान ।

टिप्पणी : जिन उम्मीदवारों ने आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है या प्राप्त नहीं कर पाएंगे वे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे तथा उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

(च) आवेदन शुल्क

शुल्क देय नहीं है क्योंकि विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट है ।

(छ) परीक्षा पद्धति

I. प्रवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए परीक्षा पद्धति

परीक्षा निम्नलिखित दो भागों में आयोजित की जाएगी :

भाग-I : लिखित परीक्षा (बहु विकल्प वस्तुनिष्ठ पेपर)

परीक्षा का प्रकार	परीक्षा की समयावधि	विषय		प्रश्नों की संख्या	अभ्युक्तियां
वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा	दो घंटे (पूर्वाह्न 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक) **टिप्पणी** : दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए दो घंटे और चालीस मिनट (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 12:40 बजे तक)	(i) (ii) (iii) (iv)	संख्यात्मक क्षमता अंग्रेजी भाषा सामान्य बुद्धिज्ञान सामान्य जागरूकता	50 प्रश्न (प्रत्येक में)	(i), (iii) व (iv) विषयों के प्रश्न पत्र द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) रूप में होंगे I अधिकतम 200 अंक होंगे I कठिनता का स्तर संबन्धित पद की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार होगा) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 की दर से ऋणात्मक अंकन किया जाएगा I

भाग-**II** : यदि कोई उम्मीदवार अपनी शारीरिक **निःशक्तता** के कारण टाइप करने में असमर्थ है तो उस मामले में कंप्यूटर के कार्यसाधक ज्ञान के आंकलन के लिए कंप्यूटर कौशल परीक्षा के स्थान पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा देनी होगी I

उम्मीदवारों को कंप्यूटर कौशल परीक्षा की परीक्षा केवल हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में देनी होगी I इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय कंप्यूटर कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा का माध्यम सावधानीपूर्वक चयन करें I कंप्यूटर कौशल परीक्षा के निम्नलिखित तीन भाग होंगे I

एमएस-पावर प्वाइंट पर दो पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण/ स्लाईड तैयार करना — 10 अंक

भाग- ख — एमएस वर्ड में लगभग 150-200 शब्दों में एक पत्र/अंश/पैराग्राफ टाइप करना — 20 अंक

भाग- ग — एमएस एक्सेल में टेबल/डेटाबेस तैयार करना — 20 अंक

उम्मीदवारों को अर्हक प्रकृति की कंप्यूटर कौशल परीक्षा अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में देनी होगी इसलिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन फार्म में कंप्यूटर कौशल परीक्षा का माध्यम सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी जाती है I कंप्यूटर कौशल परीक्षा के निम्नलिखित तीन भाग होंगे :

भाग- क	एमएस-पावर प्वाइंट पर दो पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण/ स्लाईड तैयार करना — 10 अंक
भाग- ख	एमएस वर्ड में लगभग 150-200 शब्दों में एक पत्र/अंश/पैराग्राफ टाइप करना— 20 अंक
भाग-ग	एमएस एक्सेल में टेबल/डेटाबेस तैयार करना — 20 अंक

कंप्यूटर कौशल परीक्षा के सभी तीनों भाग पूरे करने के लिए 30 मिनट का समय होगा तथा कुल 50 अंकों का होगा Iउम्मीदवारों को कंप्यूटर से संबन्धित पाठ सामग्री प्रश्न पत्र में दी जाएगी जिसको उम्मीदवारों द्वारा प्रश्न पत्र में दिए निर्देशानुसार टेक्स्ट का फोरमेटिंग तथा सूत्रों का प्रयोग इत्यादि सहित उत्तर पुस्तिका में टाइप /तैयार करना होगा I यह परीक्षा ऑफिस सुइटेस तथा डेटाबेस सहित कंप्यूटर के कार्यसाधक ज्ञान के लिए अनिवार्य योग्यता के आंकलन के लिए आयोजित किया जा रहा है I इसलिए किसी भी श्रेणी (विकलांग व्यक्तियों सहित) के उम्मीदवारों को इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है I तथापि, विकलांग व्यक्ति जो अपनी **निःशक्तता** के कारण टाइप नहीं कर सकते, ऐसे विकलांग व्यक्तियों के कंप्यूटर के कार्यसाधक ज्ञान के आंकलन के लिए लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) आयोजित की जाएगा जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होंगे I ऐसे उम्मीदवार जो अपनी **निःशक्तता** के कारण टाइप नहीं कर सकते उन्हें नीचे दिए गए आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में इसका उल्लेख करना चाहिए I

टिप्पणी : निगम, प्रवर श्रेणी लिपिक परीक्षा के भाग-II में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश देने का अधिकार होगा जो भाग-I परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर कौशल परीक्षा के लिए उपयुक्त पाए जाएंगे I

(ज) चयन प्रक्रिया /चयन का मापदंड

II प्रवर श्रेणी लिपिक पद के लिए चयन प्रक्रिया /चयन का मापदंड

(क) प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर अंतिम चयन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :

(i) **भाग-I** : लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

(ii) **भाग-II** : कंप्यूटर कौशल परीक्षा । ऐसे उम्मीदवार जो अपनी निःशक्तता के कारण टाइप नहीं कर सकते , उनके कंप्यूटर के कार्यसाधन ज्ञान के आंकलन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा)

टिप्पणी : भाग-II (कंप्यूटर कौशल परीक्षा) के लिए उम्मीदवारों की सूची उनके भाग- I में लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी ।

(ख) कंप्यूटर कौशल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की सूची निम्नलिखित अनुपात में तैयार की जाएगी :

रिक्तियों की संख्या	भाग-II के लिए लघुसूचीयन उम्मीदवारों की संख्या
01	05
02	08
03 या इससे अधिक	रिक्तियों की संख्या का तीन गुणा

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य उप श्रेणी के उम्मीदवारों सहित सभी विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए पेपर-I में 35 प्रतिशत अर्हक अंक होंगे ।

(घ) प्रत्येक भाग में प्राप्त अंकों के पृथक , भाग-II में अर्हक अंक अर्थात कंप्यूटर कौशल परीक्षा/वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो अपनी अक्षमता के कारण टाइप नहीं कर सकते उनके कंप्यूटर के कार्यसाधक ज्ञान के निर्धारण के लिए कुल 50 अंकों में से 17 अंक होंगे ।

I. **परीक्षा केंद्र**

परीक्षा केंद्र पणजी (गोवा) होगा ।

नोट : लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(ङ) आवेदन कैसे करें

(क) संलग्नकों सहित विधिवत भरे हुए आवेदन फार्म निम्न पते पर भेजे जाएंगे :

क्षेत्रीय निदेशक
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
पंचदीप भवन, ई.डी.सी. प्लॉट संख्या 23, पाट्टो, पणजी, गोवा-403001
फोन : 0832-2438853, 2438870 फ़ैक्स : 0832-2438858

(ख) नीचे दिए गए प्रपत्र में विधिवत भरे हुए तथा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र , प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित की गई प्रतियों सहित लिफाफे में जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से "विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के तहत (आवेदित पद का नाम) के पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान" लिखा होना चाहिए, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा क्षेत्रीय निदेशक के उपरोक्त पते पर भेजें ।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित शंसापत्र संलग्न होने चाहिए :

(i) आवेदन पत्र पर चिपकाया हुआ स्वयं द्वारा सत्यापित हाल में लिया गया पासपोर्ट आकार का फोटो ।

(ii) आयु (जन्म-तिथि) के प्रमाण के समर्थन में प्रमाण-पत्रों तथा शंसापत्रों, शैक्षणिक योग्यता आदि की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियां ।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रपत्र में स्वयं द्वारा सत्यापित समुदाय स्थिति के प्रमाणपत्र की प्रति । अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आधार पर आरक्षण/आयु सीमा में छूट प्राप्त उम्मीदवारों को **अनुबंध-'ख'** में दी गई स्व:घोषणा सहित भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.11.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) द्वारा निर्धारित **अनुबंध-'क'** में समुदाय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । ऐसा न करने पर आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी ।

(iv) इस अनुदेश के साथ अनुबंध-'ग' के रूप में नीचे दिए गए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में **निःशक्तता प्रमाण-पत्र ।**

(v) सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत निकाय आदि में नियुक्त उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र उचित माध्यम से भेजने चाहिए । तथापि , ऐसे उम्मीदवार अपने आवेदन, अन्य प्रमाण-पत्रों तथा शंसापत्रों की अग्रिम प्रति अंतिम तिथि से पहले भेज सकते हैं ।

नोट : आवेदन फार्म तथा अन्य दस्तावे ज़ एक दूसरे के नीचे निम्नलिखित क्रम में लगे होने चाहिए तथा बाईं ओर कौने में मजबूती से टैग या नत्थी होने चाहिए ।

1. आवेदन फार्म
2. प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ

कर्मचारी राज्य बीमा निगम उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए न बुलाए जाने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(ट) उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(i) चालीस प्रतिशत से कम अपंगता वाले उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(ii) आवेदन प्रस्तुत करने मात्र से उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने का कोई हक प्रदान नहीं करता है ।

(iii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा लिखित परीक्षा के समय पात्रता के लिए आवेदनों तथा अन्य पहलुओं की विस्तृत संवीक्षा नहीं की जाएगी तथा इसलिए उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की गई है । उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता , आयु आदि की आवश्यकता को ध्यान से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि वे इस पद के लिए पात्र हैं । संवीक्षा के समय यदि आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम का निर्णय अंतिम होगा ।

(iv) आवेदन नीचे दिए गए निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए । आवेदन प्रपत्र बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से भरा होना चाहिए ।

(v) अधूरे या अहस्ताक्षरित आवेदन या शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में अंक सूची की स्व-सत्यापित प्रतिलिपियाँ , आयु का प्रमाण (जन्मतिथि), जाति प्रमाणपत्र, फोटो तथा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को उम्मीदवारों को बिना किसी पात्र-व्यवहार के अस्वीकृत का दिया जाएगा ।

(vi) गलत घोषणा करने / मिथ्या या किसी भी प्रकार की गलत जानकारी , जो कानून के विरुद्ध हो , देने पर उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जाएगी ।

(vii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम डाक विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

(viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे उस पद के लिए शारीरिक आवश्यकताएं तथा इस विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंड एवं भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचान की गई रिक्तियों के लिए ऐसे आरक्षण के हकदार हैं । अपने दावे के समर्थन में उनके पास भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र भी होने चाहिए । अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को भारत सरकार , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.11.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) में दिए गए **अनुबंध-'क'** के रूप में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र सहित **अनुबंध-'ख'** के रूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । यदि संवीक्षा के समय उक्त दस्तावेज़ नहीं पाए गए तो आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा । निःशक्तता प्रमाण-पत्र अनुबंध- 'ग' के रूप में नीचे दिए गए भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए ।

(ix) आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों/सरकारी कर्मचारियों के पास सतत सेवा तथा नियमित सेवा, जो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि की पूर्ववर्ती अवधि के तुरंत बाद से तीन वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए , के संबंध में उनके कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुबंध-'घ' के रूप में जारी प्रमाण-पत्र होना चाहिए I उनका चयन होने पर , नियुक्ति के समय तक वे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारी/सरकारी कर्मचारी की प्रस्थिति पर बने रहेंगे I

(x) भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभों को प्राप्त करके सिविल क्षेत्र में पहले ही नियमित आधार पर समूह 'ग' व 'घ' पदों पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के तहत शुल्क रियायत तथा आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं हैं I तथापि , वे आयु सीमा में छूट के पात्र होंगे I किसी भूतपूर्व सैनिक की सशस्त्र सेनाओं में 'कॉल अप सर्विस' की अवधि को भी आयु सीमा में छूट के प्रयोजन के लिए सशस्त्र सेनाओं में की गई सेवा के रूप में मानी जाएगी I

(xi) आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक उसे माना गया है जिसने संघ की तीनोंसशस्त्र सेनाओं में से किसी एक में सैनिक की हैसियत से कार्य किया हो I वह इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर चुका हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूत कि वे सशस्त्र सेना में विनिर्दिष्ट अवधि को पूरा कर लेंगे तथा उन्हें आवेदन की अंतिम तिथि से एक वर्ष की अनुबंधित अवधि के भीतर सेवामुक्त/कार्यमुक्त किया जाएगा, के द्वारा अपनी इस अर्जित पात्रता को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए I सेवरत रक्षा कर्मियों को प्रपत्र अनुबंध 'ड़' में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा I

(xii) पद की पात्रता से संबंधित आयु सीमा, अनिवार्य अर्हता तथा अन्य मानदंडों के निर्धारण की निर्णायक तिथि 31.10.2015 होगी I

(xiii) परीक्षा केन्द्रों में मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तथा बेतार उपस्कर का प्रयोग प्रतिबंधित है I यदि किसी उम्मीदवार के पास ऐसे उपकरण , चाहे चालू या बंद , पाए जाए हैं तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इसे षडयंत्र समझा जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की परीक्षाओं से विवर्जन और/या आपराधिक अभियोजन चलाया जाएगा I

(xiv) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ऑफलाइन (ओएमआर आधारित) या ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है I

(xv) विज्ञापित रिक्तियों के लिए लिखित/ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा I

(xvi) चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दृष्टि नि:शक्तेता वाले नेत्रहीन नि:शक्त उम्मीदवार लिखित परीक्षा में प्रलिपिक की सहायता ले सकते हैं बेशर्ते कि इसका अनुरोध आवेदन प्रपत्र के प्रासंगिक कॉलम में किया गया हो I प्रश्न पत्र तथा उत्तर पत्रक ब्रेल (लिपि) में मुहैया नहीं कराए जाएंगे I परीक्षा परिसर के भीतर नेत्रहीन नि:शक्त/ प्रमस्तिष्क अंगघात से ग्रस्त उम्मीदवारों के साथ परिचर को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी I

टिप्पणी : चालीस प्रतिशत से कम दृष्टि नि:शक्त ता वाले व्यक्तियों को नेत्रहीन नि:शक्तम नहीं माना जाएगा I एक आँख तथा आंशिक रूप से अंधे उम्मीदवार जो आवर्धक लेन्स की सहायता या बिना आवर्धक लेन्स की सहायता के प्रश्न पत्र पढ़ने में समर्थ हैं तथा आवर्धक लेन्स की सहायता से उत्तर लिखना चाहते हैं तो वे प्रलिपिक के हकदार नहीं होंगे I ऐसे उम्मीदवारों को अपने खुद का आवर्धक लेन्स परीक्षा हाल में लाना होगा I

1. चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दृष्टि नि:शक्तगता वाले नेत्रहीन नि:शक्त तथा प्रमस्तिष्क अंगघात से ग्रस्त उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अपनी ओर से प्रलिपिक की सहायता ले सकते हैं I प्रतिपूरक समय के लिए प्रमस्तिष्क अंगघात से ग्रस्त उम्मीदवारों को नेत्रहीन उम्मीदवारों के समान प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जा सकती है I

2. अंध , आंशिक रूप से अंध , चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दृष्टि नि:शक्तेता वाले नेत्रहीन विकलांग उम्मीदवार अंकगणितीय समस्या के प्रश्न पत्र को हल करने के लिए अपने खुद के टेलर फ्रेम तथा ब्रेल स्लेट साथ ला सकते हैं I

(i) परीक्षा में सफल होना नियुक्त का अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यह सुनिश्चित न कर ले कि उम्मीदवार सेवा/पद पर नियुक्त के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है I

(ii) वास्तविक परीक्षा के समय उम्मीदवारों की विडियोग्राफी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विवेक परकराई जा सकती है I

(iii) सभी पद क्षेत्र/इकाई के भीतर किसी भी स्टेशन में स्थानांतरणीय हैं। अखिल भारतीय संवर्ग में पदोन्नति पर उसे भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

(ठ) दुराचरण का दोषी पाए गए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे ऐसा विवरण जमा न करें जो असत्य हो या आवेदन पत्र भरते समय किसी वास्तविक सूचना को न दबाएं। यदि ओएमआर शीट भरने में कोई अशुद्धि या कोई विसंगति पाई जाती है तो आपराधिक कार्रवाई पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले या कर्मचारी राज्य बीमा निगम की परीक्षाओं से विवर्जन , जहां आवश्यक को , ऐसे उम्मीदवारों को "शून्य" दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी भी दुराचार में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भर्ती के किसी भी स्तर पर सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।

(क) किसी व्यक्ति या अन्यथा के पास परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन व सहायक उपकरण तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट , चाहे चालू हों या बंद बंद।

(ख) कदाचर में लिप्त।

(ग) परीक्षा हाल में अनुचित साधनों का उपयोग।

(घ) किसी भी तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना।

(ड़) किसी व्यक्ति द्वारा छद्मरूपण प्राप्त करना।

(च) गढ़ंत या छेड़छाड़ किए गए प्रलेख जमा करना।

(छ) गलत या असत्य विवरण देना या वास्तविक सूचना को दबाना।

(ज) चयन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना।

(झ) परीक्षा हाल में पर्यवेक्षक, अन्वीक्षक या क.रा.बी. निगम के प्रतिनिधियों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार।

(')परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा हाल से प्रश्न पुस्तिका तथा ओएमआर शीट अपने साथ ले जाना या परीक्षा के दौरान प्रश्न पुस्तिका किसी अनधिकृत व्यक्तियों को देना।

(ट) परीक्षा के आयोजन के लिए क.रा.बी.निगम द्वारा नियुक्त स्टाफ को तंग करना या शारीरिक चोट पहुंचाना।

(ठ) सूचना में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा न करने के कारण परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाना।

(ड) अन्य किसी आधार पर भी भर्ती के किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है यदि क .रा.बी.निगम उसे उम्मीदवारी निरस्त करने का पर्याप्त कारण मानती हो।

चेतावनी : किसी भी रूप में प्रचारअयोग्यता होगी।

(ड) क.रा.बी.निगम का अंतिम निर्णय

पात्रता , आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति , गलत जानकारी के लिए दंड , चयन विधि , परीक्षा केन्द्रों का आबंटन और परीक्षा के आयोजन से संबंधित सभी मामलों में क .रा.बी.निगम का निर्णय अंतिम एवं सभी उम्मीदवारों पर बाध्ययकारीहोगा तथा इस संबंध में किसी भी तरह की पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ढ) अयोग्यता

जिस व्यक्ति ने ,

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह करने का अनुबंध किया है , तो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। बेशर्ते कि महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा

विवाह के दूसरे पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं , तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकते हैं ।

(ण) न्यायालय क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में क.रा.बी.निगम का वह संबंधित कार्यालय स्थित है जहां उम्मीदवार ने आवेदन किया है ।

(त) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि **30.10.2015** है (असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम, मणिपुर , नागालैंड , त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग , हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-मण्डल , अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षदीप में रहने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 07.11.2015 होगी)

दिनांक : 14 सितम्बर, 2015 **क्षेत्रीय निदेशक**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वर्ष 2015 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत प्रवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए आवेदन फार्म

हाल-फिलहाल में लिया गया स्वः अनुप्रमाणित फोटो लगाएं (फोटो मजबूती से चिपका होना चाहिए न की स्टैपल)

1. **आवेदित पद का नाम** :...

2. **पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)** :...

3. पिता/पति का नाम :………………………………………………………

4. जन्म तिथि (अंकों में) :...

   (शब्दों में) :...

   आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 31.10.2015 को आयु [ ]

5. धर्म :

6. राष्ट्रीयता :

7. डाक-पता ……

8. ई-मेल आईडी :

9. मोबाइल नंबर. :

10. स्थाई पता ……………………………………………………………………………………………………

11. लिंग (पुरुष के लिए 1, स्त्री के लिए 2 तथा अन्य के लिए 3) [ ]

    (i) विकलांगता का प्रकार (विकलांग/बधिर/दृष्टिहीन) [ ]

    (ii) विकलांगता का प्रतिशत [ ]

    (iii) यदि उम्मीदवार दृष्टिहीन है तो क्या लिखने वाला चाहिए हां / नहीं

    (iv) कंप्यूटर कौशल परीक्षा का माध्यम (जहां लागू हो) हिन्दी / अंग्रेजी

    (v) क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? हां / नहीं

    (vi) क्या आप क.रा.बी.निगम/सरकारी कर्मचारी हैं ? हां / नहीं

    (vii) यदि हाँ, तो कृपया विभाग/संगठन का नाम लिखें [ ]

12. संप्रदाय, जिससे उम्मीदवार का संबंध है । [ ]
    (अ.जा. के लिए 1, अ.ज.जा.के लिए 2, अ.पि.व. के लिए 3 तथा सामान्य वर्ग के लिए 4 लिखें)

13. शैक्षणिक योग्यता (अनुबंध संलग्न करें, यदि आवश्यक हो तो)

क्र. सं	अर्हता	युनिवर्सिटी / बोर्ड	विषय	प्राप्तांकों का प्रतिशत	उत्तीर्ण वर्ष	टिप्पणियां

टिप्पणी : शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में अंक सूची/प्रमाणपत्रों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न की जानी चाहिए अन्यथा आवेदन फार्म को अधूरा समझा जाएगा तथा अस्वीकृत किया जा सकता है ।

14. रोजगार का विवरण (कालानुक्रम में)

संगठन का नाम (कृपया स्पष्ट करें कि क्या केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र/स्वायत निकाय/ निजी क्षेत्र है)	ग्रहीत पद	सेवा की अवधि		कार्य की प्रकृति	वेतनमान	क्या नियमित आधार /संविदा आधार/ तदर्थ आधार आदि पर कार्यरत हैं ?
		से	तक			

15. संलग्नकों की सूची

क्र. सं.	**दस्तावेज**	**क्र. सं.**	**दस्तावेज**

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिया गया सम्पूर्ण विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य , पूर्ण तथा सही है ।

मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर कोई भी जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति बिना किसी सूचना या बिना किसी प्रतिपूर्ति के सरसरी तौर पर रद्द/समाप्त की जा सकती है ।

मैं यह भी अभिपुष्टि करता हूँ कि मैंने इस पद के लिए आवेदन करने के लिए अपने वर्तमान नियुक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का आवेदन किया है/ले लिया है

स्थान :

दिनांक :

____

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

अनुबंध 'क'

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... ....सुपुत्र/सुपुत्री श्री ....ग्राम/नगर..............................जिला/प्रभाग ....राज्य/संघ राज्य...समुदाय से संबंधित है जो भारत सरकार , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या..................................... दिनांक........................के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यताप्राप्त है *।

श्री/श्रीमती/कुमारी...और/या उनका परिवार सामान्यतः........................... राज्य/संघ राज्य के......................................जिले/संभाग में रहता है /रहते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08.9.1993 की अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हैं **।

दिनांक	जिलाधीश / उपायुक्तस आदि
कार्यालय की मुहर	
*	जाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार के उस संकल्प का विवरणदेना पड़ता है जिसमें उम्मीदवार की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख करता है ।
**-	समय-समय पर यथा-संशोधित
नोट	यहां प्रयुक्त "सामान्यतः " शब्द का वही अर्थ होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में दिया गया है।
जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची	
i.	जिला मैजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्टेट / उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त सहायक आयुक्त / तालुका मैजिस्ट्रेट / अधिशासी मैजिस्ट्रेट
ii.	मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
iii.	तहमुहर दार से ऊपर के औहदे के राजस्व अधिकारी
iv.	उस क्षेत्र के उप-प्रभागीय अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदन तथा या उसका परिवार सामान्यतः निवास करते हैं ।

नोट-1 (क) : यहां प्रयोग हुआ "सामान्यतः रहते है" शब्द का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में दिया गया है ।

(ख) : निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी जाति प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं :

(i) जिला मैजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्टेट / उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त सहायक आयुक्त / तालुका मैजिस्ट्रेट / अधिशासी मैजिस्ट्रेट ।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) तहमुहर दार से ऊपर के औहदे के राजस्व अधिकारी

(iv) उस क्षेत्र के उप-प्रभागीय अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदन तथा या उसका परिवार सामान्यतः निवास करते हैं ।

नोट-II : आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि की गणना उम्मीदवार के अन्य पिछड़ा वर्ग स्थिति की तिथि तथा यह मानते हुए कि उम्मीदवार संपन्न वर्ग का नहीं है, से गिनी जाएगी ।

नोट-III : उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपरोक्त अनुबंध 'क' के अनुसार केंद्रीय सरकार की नौकरियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रासंगिक अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र इस सूचना में निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले प्रस्तुत करना चाहिए ।

अनुबंध 'ख'

समुदाय प्रमाण-पत्र के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाए वाला घोषणा प्रपत्र

मैं...सुपुत्र/सुपुत्री श्री.. निवासी...................... ग्राम/कस्बा/शहर/जिला...राज्य...................................एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.............................समुदाय से संबंधित हूँ , जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93/स्था (एससीटी) में निहित आदेशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन हेतु पिछड़ा वर्ग माना गया है ।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.9.1993 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आ.) दिनांक 9 मार्च, 2004, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आ.) दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(आ.) दिनांक 27 मई , 2015 की अनुसूची के स्तंभ-3 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हूँ ।

हस्ताक्षर :...

नाम :..

पता...

....

अनुबंध-'ग'

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या .... दिनांक :

निःशक्तता दर्शाते हुए तथा चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित किया हुआ हाल ही में लिया गया फोटो चिपकाएं

निःशक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमार ....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ....आयु....................................लिंग........................पहचान चिन्ह........................ .... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है :-

क गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फोलिज)

(i) बीएल-दोनों टांगें प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं (क) दुर्बल पहुँच

(ii) बीए-दोनों बाहें प्रभावित (ख) कमजोर पकड़

(iii) बीएलए-दोनों टांगें और बाहें प्रभावित

(iv) ओएल- एक टांग प्रभावित (दायाँ या बायां) (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम

(v) ओए-एक बांह प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम

(vi) बीए-पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ या झुक नहीं सकते)

(vii) एमडब्लू- मासपेशियों में कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख अंधापन या अल्पदृष्टि (i) बी-नेत्रहीन

(ii) पीबी-आंशिक रूप से नेत्रहीन

ग कम सुनाई देना (i) डी-बधिर

(ii) पीडी-आंशिक रूप से बधिर

(जो श्रेणी लागू न हो उसे काट दें)

2. यह स्थिति प्रगामी है /गैर-प्रगामी है /इसमें सुधार होने की संभावना है /इसमें सुधार होने की संभावना नहीं है । इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती /.........वर्ष.........महीनों *की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण की अनुशंसा की जाती है *।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत......... है ।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी..अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं पूरा करते /करती हैं :-

(i)	एफ-उँगलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
(ii)	पीपी- धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
(iii)	एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
(iv)	केसी-घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
(v)	बी-झुककर कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
(vi)	एस-बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
(vii)	एसटी-खड़े रह कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं

(viii) डब्लू-चलने हुए कार्य कर सकते/सकती हैं हाँ/नहीं
(ix) एसई-देखकर कार्य कर सकते/सकती हैं हाँ/नहीं
(x) एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं हाँ/नहीं
(xi) आरडब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं हाँ/नहीं

(डॉ……………………………………) (डॉ……………………………………) (डॉ……………………………………)
सदस्य , चिकित्सा बोर्ड सदस्य , चिकित्सा बोर्ड अध्यक्ष , चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल
के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (मुहर सहित)

<u>अनुबंध-घ</u>

आयु सीमा में छूट हेतु क.रा.बी.निगम कर्मचारियों/सरकारी सेवकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

(अभ्यर्थी के कार्यालय या विभाग के प्रमुख द्वारा भरा जाए)

(अभ्यर्थियों की सूचना हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश के लिए कृपया पैरा के(6) देखें)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...
दिनांक............................को तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतनमान........ ....
में.................................... के पद पर आसीन है ।

हस्ताक्षर..

नाम..

कार्यालय की मुहर

स्थान :

दिनांक :

(कृपया जो शब्द लागू न हो उसे काट दें)

अनुबंध-ड़

(सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए प्रमाण-पत्र का प्रपत्र)

(अभ्यर्थियों की सूचना हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश के लिए कृपया पैरा के(6) देखें)

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर)............................ .... (रैंक)................................(नाम)...दिनांक.......................को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान : (कमान अफसर के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर